न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 150/2025 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/309
दायर दिनांक :– 30.06.2025 निर्णय दिनांक :– 19.08.2025

1. मुल्तानाराम पुत्र सुखराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम तालरिया तहसील बाप जिला फलोदी

–वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः– 1. श्री ओमप्रकाश गोदारा अधिवक्ता वादी
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया है कि वादी के नाम ग्राम तालरिया पटवार क्षेत्र बोडाना में खसरा नम्बर 2523/1 रकबा 48–00 बीघा भूमि गैर खातेदारी की स्थित है। उक्त भूमि वादी को आवंटन हुई थी और उसी दिन मौके पर चलकर वादी को राजस्व कर्मचारियों ने कब्जा सुपुर्द दिया तथा वादी ने कब्जा मौके पर प्राप्त कर लिया था। उक्त आंवटन के आधार पर वादी के पक्ष में गैर खातेदारी का नामान्तरकरण भरा जाकर स्वीकृत हुआ। वादी को कब्जा सौंपने के बाद तथा वादी द्वारा अपने नाम से आंवटित भूमि का कब्जा प्राप्त करने पर पटवारी हल्का द्वारा वादी के नाम से खातेदारी के नामान्तरकरण की कार्यवाही की जानी चाहिए लेकिन वादी को गैर खातेदारी ही दर्ज कर दिया। जबकि वादी का उक्त भूमि पर आंवटन से लेकर आज दिन कब्जा व काश्त शांतिपूर्वक चला आ रहा है। भूमि पर वादी की रहवासी ढाणी, पानी के टांके व पशुओं के बाडे इत्यादि बने हुऐ है जिसमें वादी अपने परिवार सहित बारह ही मास निवास करते है व तथा बरसात के समय में काश्त कर प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। इसलिये वादी ग्राम तालरिया पटवार हल्का बोडाना तहसील बाप जिला फालोदी के खसरा नम्बर 2523/1 रकबा 48–00 बीघा भूमि में गैर खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी है जिसका यह दावा पेश है।

वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। समन बाद तामिल प्राप्त होने पर प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जवाब में बताया कि ग्राम तालरिया के खसरा नम्बर 2523/1 रकबा 48–00 बीघा नामा. संख्या 232 के द्वारा वादी के नाम गैर खातेदार दर्ज किया गया। मौजा तालरिया नामान्तरकरण संख्या 374 के द्वारा वादी को खातेदार दर्ज किया गया। गिरदावरी चौसाला सम्वत 2059–2062 में उक्त भूमि में वादी खातेदार दर्ज है लेकिन

| 2025/309 |

गिरदावरी चौसाला सम्वत 2063–2066 में वादी को गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया। पटवारी हल्का द्वारा मौका जांच में पाया गया कि ग्राम तालरिया के खसरा नम्बर 2523/1 रकबा 48–00 बीघा खेत के चारों तरफ तारबंदी कर कब्जा किया हुआ है जो वादी का कब्जा व काश्त है। उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भू–राजस्व बकाया नहीं होने से वादी को गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया जाना उचित है, चूंकि वादी के वाद का प्रतिवादी की तरफ से कोई प्रतिरोध नहीं होने से पत्रावली में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वकील वादी साक्ष्य नहीं करवाना चाहते है। पत्रावली बहस में रखी गई।

वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम तालरिया पटवार क्षेत्र बोडोना तहसील बाप के खसरा नंबर 2523/1 रकबा 48–00 बीघा भूमि वर्तमान में वादी के नाम दर्ज राजस्व अभिलेख गैर खातेदार दर्ज है। वादग्रस्त भूमि वादी को आवंटन अनुसार नामान्तरकरण संख्या 232 के जरिये गैर खातेदार दर्ज किया गया जो वर्तमान में वादी के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त आज दिन तक लगातार चला आ रहा है जो तथ्य तहसीलदार बाप के जवाब से साबित है। इसलिए वादी को गैर खातेदार से खातेदार घोषित किये जाने के आदेश फरमावे।

प्रतिवादी सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम तालरिया के खसरा नम्बर 2523/1 रकबा 48–00 बीघा नामा. संख्या 232 के द्वारा वादी को गैर खातेदार दर्ज किया गया। मौजा तालरिया नामान्तरकरण संख्या 374 के द्वारा वादी को खातेदार दर्ज किया गया। गिरदावरी चौसाला सम्वत 2059–2062 में उक्त भूमि में वादी खातेदार दर्ज है लेकिन गिरदावरी चौसाला सम्वत 2063–2066 में वादी को गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया। पटवारी हल्का द्वारा मौका जांच में पाया गया कि ग्राम तालरिया के खसरा नम्बर 2523/1 रकबा 48–00 बीघा खेत के चारों तरफ तारबंदी कर कब्जा किया हुआ है जो वादी का कब्जा व काश्त है। उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भू–राजस्व बकाया नहीं होने से वादी को गैर खातेदार से खातेदार दर्ज किया जाना उचित है।

अधिवक्ता वादी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात एवं पैरोकार सरकार के जवाब का अवलोकन किया जिससे यह साबित है कि उक्त वादग्रस्त भूमि ग्राम तालरिया पटवार क्षेत्र बोडाना तहसील बाप के खसरा नंबर 2523/1 रकबा 48–00 बीघा भूमि वर्तमान में वादी के नाम राजस्व अभिलेख में गैर खातेदार दर्ज है। वादग्रस्त भूमि वादी के नाम आवंटन अनुसार गैर खातेदारी की दर्ज की गयी। उक्त भूमि नामान्तरकरण संख्या 232 के जरिये गैर खातेदारी की दर्ज की गयी तत्पश्चात वादी को नामान्तरकरण संख्या 374 के जरिये खातेदार दर्ज किया गया परन्तु गिरदावरी चौसाला सम्वत 2063–2066 तैयार करते समय वादी को गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया, जो वर्तमान में वादी के नाम गैर खातेदार दर्ज है। उक्त भूमि पर वर्तमान में वादी का कब्जा काश्त है इन तथ्यों को तहसीलदार बाप ने अपने जवाब मे कथन किया है। इसी अनुसार वादी को गैर खातेदार से खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

13/8/25

आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम तालरिया पटवार क्षेत्र बोडाना तहसील बाप के खसरा नंबर 2523/1 रकबा 48–00 बीघा भूमि में वादी को गैर खातेदार से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप वादी के नाम बकाया राजस्व मांग (यदि हो तो) राजकोष में जमा करवाकर खातेदारी अधिकारों का नामान्तरकरण खोल कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर आदेश की पालना करें। डिकी पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19,08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप जिला–फलोदी

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. मुल्तानाराम पुत्र सुखराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम तालरिया तहसील बाप जिला फलोदी

–वादीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रतिवादी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,15एएए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्याः–150 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर श्री ओमप्रकाश गोदारा मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिक्री दी जाती है कि वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि ग्राम तालरिया पटवार क्षेत्र बोडाना तहसील बाप के खसरा नंबर 2523/1 रकबा 48–00 बीघा भूमि में वादी को गैर खातेदार से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप वादी के नाम बकाया राजस्व मांग (यदि हो तो) राजकोष में जमा करवाकर खातेदारी अधिकारों का नामान्तरकरण खोल कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर आदेश की पालना करें।नीचे

मुतालिक
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
वसूल याबी तक

बाबत्
फीस सदी सालाना आज की तारीख
को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.08.2025 जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।